न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 19/2014

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. अम्बुजा सीमेन्टस् लिमिटेड जरिये वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज कर्नावत पुत्र स्व. ज्ञानचन्द कर्नावत जाति-जैन अम्बुजा सीमेन्ट टाउनशिप राबडियावास तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

1. भंवरु पुत्र भागीरथ
2. पुजा पुत्री बुद्धाराम
3. पप्पुड़ी पत्नी बुद्धाराम

कौम-राईका नि0-राबड़ियावास तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.23.01.2014

उपस्थितः- 1. श्री चावण्डदान बाहरठ, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 30/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी मैसर्स अम्बुजा सीमेन्टस् लिमिटेड, यूनिट-राबडियावास कम्पनी एक्ट के तहत पंजीबद्ध लिमिटेड कम्पनी है व इस कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कम्पनी के बिजनेस हैड जगदीश तोषनीवाल को कम्पनी की जमीन व सम्पति बाबत् सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने वाद पर हस्ताक्षर करने, बयान देने या किसी भी कम्पनी के अधिकारी / कर्मचारी को वाद की कार्यवाही हेतु नियुक्त व मुकर्र करने का अधिकार दिया हुआ हैं। जगदीश तोषनीवाल बिजनेस हैड ने मनोज कर्नावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक) को सभी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही व वाद न्यायालय में प्रस्तुत करने व करवाने का अधिकार दिया गया है। उक्त कम्पनी के बिजनेस हैड द्वारा दिये गये अधिकार के पत्र की फोटोप्रति वाद के साथ पेश की है, जिसे वाद का एक भाग माना जावे, जिसके तहत मनोज कर्नावत द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। सरहद मौजा-राबडियावास में अम्बुजा सीमेन्टस् लिमिटेड कम्पनी का एक वृहद सीमेन्ट प्लान्ट कार्यरत व उत्पादनरत है व उक्त सीमेन्ट प्लान्ट में सीमेन्ट उत्पादन हेतु कच्चा माल लाने व उत्पादित सीमेन्ट बाहर डिस्पेच करने के यातायात व ट्रान्सपोर्ट बाबत् भारतीय उत्तर पश्चिम रेल्वे द्वारा बांगड ग्राम-ब्यावर से रास तहसील-जैतारण तक रेल्वे की ओर से रेल्वे लाईन बिछाई जा रही है। रेल्वे द्वारा रास में रेल्वे स्टेशन स्थापित कर रेल्वे लाईन डाली जाकर यातायात व ट्रान्सपोर्ट शुरु किया जायेगा। रेल्वे एवं कम्पनी के मध्य हुये समझौते के अनुसार रेल्वे स्टेशन रास से वादी के अम्बुजा सीमेन्टस प्लान्ट तक वादी के खर्चे से रेल्वे लाईन बिछाई जानी प्रस्तावित है। इस बाबत् सर्वे भी किया जा चुका है व रिको राज0 जयपुर के भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त रेल्वे लाईन के सर्वे में आई निजी खातेदारी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है व लम्बित है। रेल्वे द्वारा अम्बुजा सीमेन्टस लिमिटेड यूनिट-राबडियावास तक किये गये रेल्वे के सर्वे अनुसार जिन निजी खातेदारों की भूमि जिसमें से होकर रेल्वे लाईन बिछाई जानी प्रस्तावित है से वादी कम्पनी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

द्वारा खातेदारों से उक्त रेल्वे लाईन में काम आने वाली कृषि भूमि के खातेदार काश्तकारों को बाजारु दर से राशि अदा कर खातेदारी भूमि खरीद कर कम्पनी के नाम दर्ज हो चुकी है। प्रस्तावित रेल्वें लाईन के लिये खरीद की गई भूमि मौके पर कम्पनी को बैचान करने वाले खातेदारों की मौके पर उक्त भूमि के सहखातेदार काश्तकारों के मध्य वंटी हुई थी। मौके पर वादी कम्पनी को बेची गई भूमि का बैचानकर्ताओं का मौके पर अलग से कब्जा काश्त था। वह भूमि मौके पर वादी कम्पनी को सुपुर्द कर कब्जा सम्भला दिया गया, जिस पर वादी कम्पनी काबिज है,मगर वादी कम्पनी के कब्जे व हिस्से की अन्य सहखातेदार काश्तकार की कृषि भूमि जमाबन्दी (खतौनी) में शामलाती खाता दर्ज है व लगान भी शामलाती है, नक्शे ट्रेश में सम्पूर्ण भूमि एक दर्शायी गई है। वादी कम्पनी के हिस्से की भूमि मौके पर जरिये तरमीम अलग नही दर्शाई गई है, ऐसी सूरत में वादी कम्पनी की खरीदसुदा कब्जासुदा जमीन खसरा नम्बर 755 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम लगान 4.24 रुपये की वादी की 120/266 हिस्सों की भूमि यानि 06 बीघा भूमि खसरा नम्बर 755 के नक्शे में मौके अनुसार लाल रंग से डाट लाईन रेखांकित कर दर्शायी गई है तथा प्रस्तावित रेलवे -।-।-।-।-।-।- आसमानी रंग से दर्शायी गई है। जिसका नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। वादी की खरीदसुदा भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 बाबत् खसरा नम्बर 755 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा रावडियावास तहसील जैतारण की प्रमाणित प्रतिलिपि दावे के साथ पेश की है, जिसे दावे का एक भाग माना जावें। उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार लाल रंग डाट लाईन से दर्शाये गये वादी के 120/266 हिंस्से की भूमि यानि 06 बीघा का तकारमा वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के करवाने के अधिकारी है। वादी के उक्त भूमि का मौके पर पत्थर गढी कर नेखमबन्दी कर मौके पर बांटी जावें ताकि वादी की उक्त भूमि नक्शा ट्रेश में तरमीम कर अलग से दर्शायी जावें एवं भूमि का वादी कम्पनी के नाम का अलग से खाता दर्ज किया जावें। जरिये तकारमा वादी कम्पनी ऐसा करवाने की अधिकारी है इसलिये दावा तकारमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 सहखातेदार काश्तकार है,के विरुद्ध वाद पेश है। वाद तकारमा आराजी वादी कम्पनी अपनी खरीदसुदा खातेदारी हिस्सें की भूमि जो नजरी नक्शें में लाल रंग डाट लाईन से दर्शाई गई है, में बतौर खातेदार मालिक भोक्ता के उक्त भूमि व भू-भाग में रेल्वे लाईन डालकर एवं बतौर मालिक के सभी प्रकार से उपयोग-उपभोग कर इसमें भविष्य में किसी प्रकार की दखलदांजी करने से प्रतिवादी को रुकवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी कम्पनी को असीम हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने पर वादी उन्हें ऐसा हरगीज नही करने देगा,जिस पर मौके पर टन्टा फसाद होगा,ऐसा होने पर वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध बार-बार दिवानी फौजदारी मुकदमें दायर करने पडेंगे, जिससे विविध मुकदमेंबाजी होगी तथा वादी कम्पनी को अपूर्णिय क्षति होगी, इसलिये वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः दावा स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। यह है कि प्रश्नगत कृषि भूमि के लैण्ड होल्डर तहसीलदार, जैतारण है, जो तकारमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई अनुज्ञा नही चाही है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बिनाय दावा दिनांक 09.01.2014 को वादी कम्पनी द्वारा प्रतिवादीगण को बमुकाम राबडियावास मौके पर हो रखे बंटवाडा अनुसार बंटवाडा कर जमीन का तकास्मा करने का कहने पर, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने पर तकास्मा होने तक बमुकाम राबडियावारा में पैदा हुआ, नियन्त्रण जारी है जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत वाला के है।

इस प्रकार माफिक दावा वादी ने वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रति0 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र – राबड़ियावास में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया गया, सा0मि0 किया गया। राजस्व सरहद मौजा-राबडियावास, तहसील-जैतारण में वादी कम्पनी की खरीदसुदा कब्जासुदा जमीन खसरा नम्बर 755 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि स्थित हैं। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं। इसी अनुसार तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 30/06/2015 को ही पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-राबडियावास, तहसील-जैतारण में वादी कम्पनी की खरीदसुदा कब्जासुदा जमीन खसरा नम्बर 755 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	मैसर्स अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड राबड़ियावास जरिये वरिष्ठ उपाध्यक्ष वल्लभ वी0 टांक पुत्र वलजीभाई टांक जाति-सोराठिया प्रजापति सा0 देह खातेदार।	755	6-00-00	बा0दो0
2	भंवरूराम पुत्र भागीरथ 1/2 हि0, पूजा पुत्री बुधाराम 66/146 हि0, पप्पुड़ी पत्नि बुधाराम 7/146 हि0 कौम-राईका सा0 देह खातेदार।	755/1	7-06-00	बा0दो0
	कुल योग	2	13-06-00	बा0दो0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 30/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-राबड़ियावास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०**

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. अम्बुजा सीमेन्टस् लिमिटेड जरिये वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज कर्नावत पुत्र स्व. ज्ञानचन्द कर्नावत जाति-जैन अम्बुजा सीमेन्ट टाउनशिप राबडियावास तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. भंवरु पुत्र भागीरथ
2. पुजा पुत्री बुद्धाराम
3. पप्पुड़ी पत्नी बुद्धाराम कौम-राईका नि0-राबड़ियावास तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0:19/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री चावण्डदान बाहरठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-राबडियावास, तहसील-जैतारण में वादी कम्पनी की खरीदशुदा कब्जासुदा जमीन खसरा नम्बर 755 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	मैसर्स अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड रावड़ियावास जरिये वरिष्ठ उपाध्यक्ष वल्लभ वी0 टांक पुत्र वलजीभाई टांक जाति-सोराठिया प्रजापति सा0 देह खातेदार।	755	6-00-00	बा0दो0
2	भंवररूराम पुत्र भागीरथ 1/2 हि0, पूजा पुत्री बुधाराम 66/146 हि0, पप्पुड़ी पत्नि बुधाराम 7/146 हि0 कौम-राईका सा0 देह खातेदार।	755/1	7-06-00	बा0दो0
	कुल योग	2	13-06-00	बा0दो0

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरागद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बिरोल पर जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	02	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	07	00	मिजानः-	—	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner